

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (17)आकाशि/वि.सं./2014/1135

दिनांक- 19/11/17


आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2017-18, 2018-19 (दो वर्षों) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है।

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित विषय/ संकाय
श्री गंगा सिंह कॉलेज, एम.एच. 11, गोविन्दगढ़, बी.बी. जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- स्नातक स्तर पर कला संकाय- कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र। वाणिज्य संकाय- ए.बी.एस.टी, ई.ए.एफ.एम, व्यावसायिक प्रशासन। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

1. संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पर्यंत तीन सत्रों में मान्यतानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रुजानतरण अवसर करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित तहसील स्थानीय विकास/नगर-नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अर्थशास्त्रिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा सारा मसौदा अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं वित्तरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करावेगी।
12. संपर्कपत्रों की पूर्ण जानकारी इत विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एम0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहसहस्रिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।


उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

  
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सिविल सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. जून सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. सचिवकी शायद आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार जयपुर।

  
सयुक्त-निदेशक (नि0स0)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर